



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082021-228997
CG-DL-E-14082021-228997

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3041]
No. 3041]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SRAVANA 22, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2021

का.आ. 3281(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.-२८०८ (अ) तारीख "१८-०८-२०२०", जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में अहमदाबाद-वामणबोर-राजकोट NH47 के कि.मी. 7 से कि.मी.72.1 तक के भूखण्ड पर के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित २-लेन/४ लेन का बनाना आदि)), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "२८-०८-२०२०" को "संदेश" और "टाइम्स ओफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में NH47 अहमदाबाद-बामणबोर-राजकोट कि.मी. 7 से कि.मी.72.1 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित जमीनका विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: अहमदाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बावला				
	गांव का नाम: मिठापुर				
1	18	निजी	कृषि	0.0018	भगवानभाई मोरभाई, नन्दूबेन करमसीभाई ना विधवा, प्रकाशभाई करमसीभाई, नन्दूबेन करमसीभाई ना विधवा, जयदेवभाई करमसीभाई (18)
2	1858	निजी	कृषि	0.0355	मनसुखभाई वाघजीभाई सांगणी, गोरधनभाई शामजीभाई काछडिया, हंसाबेन जीवराजभाई वशरामभाई अवैया की बेटी, वर्षाबेन मनसुखभाई सांगणी, जयोतिबेन गोरधनभाई काछडिया (1858)
3	1872	निजी	कृषि	0.0046	भवानभाई जीवनभाई उर्फ काबुभाई (1872)
			कुल	0.0419	

[फा.सं. NHAI/BOT/DBFO-Ahmedabad/NH-8A&B/2013/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August 2021

S.O. 3281(E).—Whereas by the notification the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, SO 2808(E) Date.18/08/2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.) Maintenance, management and operation of The AHMEDABAD-BAMANBOR-RAJKOT NH47 on the stretch of land from Km 7 to Km 72.1 (AHMEDABAD RAJKOT SECTION) in the district of AHMEDABAD in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sandesh” and “The Times of India” both dated 28-08-2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the National Highway No.47 (Ahmedabad-Bamanbor-Rajkot) in the stretch of land from K.M. 7-000 to K.M. 72-100 stretch of land in the district of AHMEDABAD in the state of GUJARAT

State: GUJARAT		District: AHMEDABAD			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bavla				
	Village: Mithapur				
1	18	Private	AGRICULTURE	0.0018	Bhagvanbhai Morbhai, Nanduben Widow Of Karmashibhai, Prakashabhai Karmashibhai, Nanduben Widow Of Karmashibhai, Jaydevbhai Karmashibhai 18
2	1858	Private	AGRICULTURE	0.0355	Mansukhabhai Vaghajibhai Sangani, Goradhanbhai Shamajibhai Kachhadiya, Hansaben Daughter Of Jivarajbhai Vasharambhai Avaiya, Varshaben Mansukhabhai Sangani, Jayotiben Goradhanbhai Kachhadiya 1858
3	1872	Private	AGRICULTURE	0.0046	Bhavanbhai Jivanbhai Urfe Kabubhai 1872
			TOTAL	0.0419	

[F.No. NHAI/BOT/DBFO-Ahmedabad/NH-8A&B/2013/3D]

RAJESH GUPTA, Director